राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

प.13(51)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022पार्ट–I/08237 जयपुर, दिनांक:

–: परिपत्र :–

विषय:–समस्त राजसेवकों द्वारा अपने विगत वर्षो के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के संबंध में।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के द्वारा राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन भरने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन राजसेवकों द्वारा विगत वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन नही भरा गया है, उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन भरने हेतु दिनांक 31.01.2025 तक का समय प्रदान किया जाता है।

अतः समस्त राजसेवकों द्वारा राजकाज पोर्टल पर अपने लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) की पूर्ति नियत तिथि दिनांक 31.01.2025 तक करना सुनिश्चित करें साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों (जिला कलक्टर सहित) को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु व्यादिष्ट किया जाता है कि:–

1. अपने अधीन कार्यरत राजसेवकों के लंबित एपीएआर राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन समय सीमा में भरवाये जाने हेतु निर्देशित करें।
2. अपने अधीनस्थ कैडर के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के एपीएआर चैनल राजकाज (APAR/ACR) पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर सुलभ संदर्भ हेतु दिनांक 10.01.2025 तक अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
3. एपीएआर भरने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 10.01.2025 तक कर समस्त कर्मचारी/अधिकारी को भरवाने हेतु प्रसारित करें एवं विभाग को अवगत करावें।
4. किसी पद का चैनल निर्धारित नहीं होने की अवस्था में एपीएआर चैनल दिनांक 10.01.2025 तक निर्धारित करवाना सुनिश्चित करवाते हुए राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर अपलोड करावें।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) दिशा–निर्देश 05.06.08 एवं समय–समय पर जारी परिपत्र कार्मिक विभाग की वेबसाईट https://dop.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। राजकाज सम्बंधित तकनीकी सहायता के लिए राजकाज हैल्पडेस्क नम्बर 0141–29–22281, 21149 पर सम्पर्क कर सकते है।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Kri[illegible] Kant Pathak
Designation : Secret[illegible] To Government
Date: 2025.0[illegible] 1[illegible]:13 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 12811075

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा. उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित।
8. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
9. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग SMS, Email एवं अन्य माध्यम से प्रत्येक राज्य सेवक को लम्बित एपीएआर पूर्ती करने हेतु सूचित करें एवं विभागाध्यक्षवार गत वर्षो की लम्बित एपीएआर की सूची अधिकारी/कर्मचारी वार बनाकर सम्बंधित विभाग को 10.01.2025 तक उपलब्ध करावें। साथ ही राजकाज पर एपीएआर चैनल सरल रूप में मैप करने हेतु सुविधा भी उपलब्ध करावें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर।

शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Kri[illegible] Kant Pathak
Designation : [illegible]o Government
Date: 2025.0[illegible]:13 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 12811075